



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/ विविध-ए/115-858/2317

रायपुर, दिनांक 04/09/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:— Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 of a total 3.786 of forest land for non-forest work of Laying underground Optical Fibre Cable (OFC) line in Dhamtari Forest Division under Dhamtari District by jio Digital Fiber private Ltd. Raipur Chhattisgarh-reg.

संदर्भ:— पंजीयन क्रमांक — FP/CG/OFC/45153/2020

- छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5-28/2022/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.08.2023
- मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक.शा/एफ.सी.ए./9778 दिनांक 05.09.2023

* * * * *

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा धमतरी वन मण्डल अन्तर्गत जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि.द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए 3.786 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त से संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

शर्त क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
01	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएंगे।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी, वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किए मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक संस्थान द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जाएगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।

216

06	उपरोक्त लाइन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
07	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/ रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथा संभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
12	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम, 1980) द्वारा प्रति माह के 05 तारिख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला-धमतरी के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जाएगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/ विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

अतः कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(वन बल प्रमुख महोदय द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध/व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/ विविध-ए /115-858/ 23/8

रायपुर, दिनांक 4/09/2023
10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
- लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन की शर्त पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 04.08.2023 में राज्य शासन द्वारा अधिरोपित समस्त 14 शर्तों का पालन किया जायेगा। यह अनुमति एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। प्रकरण में किसी भी वृक्ष का विदोहन नहीं किया जायेगा।
3. महाप्रबंधक (कार्पोरेट. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध/व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

